यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
96/19	28.8.19	7.9..21

उनवान

1. प्यारेलाल पुत्र स्व0 श्री कर्मचन्द
2. बनारसी पुत्र स्व0 श्री कर्मचन्द जाति जाट पंजाबी निवासीयान ग्राम तहनौली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान। :–वादीगण:–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब(लेण्ड होल्डर) किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
2. महंगाराम पुत्र स्व0 श्री सन्तराम
3. जगदीश पुत्र स्व0 श्री सन्तराम
4. जनकराज पुत्र स्व0 श्री सन्तराम जाति जाट पंजाबी निवासीयान ग्राम तहनौली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

:– प्रतिवादीगण:–

(दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति:–

1.श्री लालाराम यादव वकील वादी की ओर से।

2.प्रतिवादी की ओर से इकबाल जवाब दावा।

:–निर्णय:–7.9.2021

पत्रावली पेश हुई । दावे के सुक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार है:–

वादीगण ने वाद पेश किया कि आराजी ख0 न0हाल 206 रकबा 0.4900है0, 216 रकबा 0.1300 हे0, 359 रकबा 0.3200हे0 किता 03 कुल क्षेत्रफल 0.9400 हे0 दर्ज खाता संख्या 113 स्थित वाके ग्राम तहनोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में स्थित है । उक्त आराजी हम वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी मौजुदा वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 लगा0 2073 सलग्न वाद पत्र है। । जो पाकिस्तान से विस्थापित होने पर हम वादीगण को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की थी, जिसका सनद पटटा आदि भी हम वादीगण को जारी होकर हम वादीगण कों खातेदारी हकूक प्राप्त हो गयें। प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4 के पिताजी सन्तराम पुत्र चूहडराम को दीगर आराजी आवंटित हुई थी। आराजी आवंटन होने के बाद से ही आज दिन तक उक्त आराजी पर हम वादीगण अपने 1/2 – 1/2 हिस्से पर शांति

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with CamScanner

पूर्वक काबिज रहकर काश्त कर रहे है, तथा वर्तमान में भी हम काबिज है तथा आराजी पर फसल बाजरा बोई हुई फसल का अंकन हो रहा हैं नकल खसरा गिरदावरी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 के पिताजी सन्तराम पुत्र चूहडराम फोत हो गयें है, जिनका उक्त आराजी से अथवा आराजी की कब्जा काश्त से कभी किसी प्रकार संबंध व सरोकार नही था । प्रतिवादीगण संख्या–2 लगा0 4 का भी विवादित आराजी की कब्जा काश्त से किसी प्रकार का कोई संबंध वो सरोकार नही रहा ओर नाही इनके वारिसान का भी विवादित आराजी से कोई संबध रहा ।वादीगण प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4 के पिताजी सन्तराम के जीवन काल में ही राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन को दुरूस्त कराने के लिए निवेदन करते है जो हमेशा वादीगण को गलत अंकन दुरूस्त कारने का आश्वासन देते रहे। तथा उनकी फौतगी के बाद वादीगण प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4 जो सन्तराम के विधिक वारिसान से भी राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन को दुरूस्त कराने के लिऐ कहा तो उन्होने भी मना कर दिया। अतः वादीगण प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में जो अंकन शिकमी साल 4 दर्ज हो रहा है उसे कलमजन कराने के अधिकारी है।

यह है कि वाद वादी गण विरूद्व प्रतिवादीण इस अमर से डिक्री किया जावे कि:–

अ– डिक्री दुरूस्ती मय इश्तकरारहक इस प्रकार की पारित की जावे कि आराजी विवादित ख0न0 हाल 206 रकबा 0.4900हे0, 216 रकबा 0.1300 हे0, 359 रकबा 0.3200हे0 किता 03 कुल क्षेत्रफल 0.9400 हे0 दर्ज खाता संख्या 113 स्थित वाके ग्राम तहनोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान वादीगण की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है । जिस आराजी से प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4 अथवा उनके स्वर्गीरू पिताजी सन्तराम पुत्र चुहडराम का किसी प्रकार संबंध व सरोकार नही है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में सन्तराम पुत्र चुहडराम के नाम का शिकमी साल 4 का जो इन्द्राज हो रहा है वो खिलाफ मोका कब्जा व खिलाफ कानून है। जिसको हजफ किया जाकर वादीगण के नाम का अंकन बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज रखा जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

ब– खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीण से दिलाया जावे।

स– दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे , अता फरमायी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 की ओर से इकबाल जवाब दावा पेंश किया जिसमें उन्होने दावें में स्थित सभी बिन्दुओ को स्वीकारते हुए जवाब दिया की विवादित आराजी में हम प्रतिवादीगण 2 लगा0 4 के पिता सन्तराम पुत्र चुहडराम का नाम हाल जमाबंदी मे शिकमी साल 4 दर्ज हो रहा है जिसको हजफ कर दिया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है सन्तराम पुत्र चुहडराम का देहांत हो गया है जिसके हम वारिसान है हमारे अलावा मृतक सन्तराम कोई वारिस नही है। । तथा प्रतिवादी सं0 1 ने भी जवाब दावे में कोई राजहित प्रभावित नही होना बताया गया । वादीगण ने साक्ष्य में बनारसीदास पुत्र कर्मचन्द पी0 डब्लु0 1 , प्यारेलाल पुत्र कर्मचन्द पी0 डब्लू 02 के शपथ पत्र पेश किये ।बनारसीदास के ब्यान कलमबद्व किये तथा दस्तावेजीं साक्ष्य में हाल जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

प्रदर्श–1, खसरागिरदावरी प्रदर्श–2 पेश किये है प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई । वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुयें बताया कि आराजी विवादित ख0न0 हाल 206 रकबा 0.4900है0, 216 रकबा 0.1300 हे0, 359 रकबा 0.3200हे0 किता 03 कुल क्षेत्रफल 0.9400 हे0 दर्ज खाता संख्या 113 स्थित वाके ग्राम तहनोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान वादीगण की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है । जिस आराजी से प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4 अथवा उनके स्वर्गीय पिताजी सन्तराम पुत्र चुहडराम का किसी प्रकार संबंध व सरोकार नही है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में सन्तराम पुत्र चुहडराम के नाम का शिकमी साल 4 का जो इन्द्राज हो रहा है वो खिलाफ मोका कब्जा व खिलाफ कानून है। जिसको हजफ किया जाकर वादीगण के नाम का अंकन बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज रखा जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद भली भांति साबित होता है।वाद डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जरिये इकबाल जवाब दावा डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0 न0 हाल 206 रकबा 0.4900है0, 216 रकबा 0.1300 हे0, 359 रकबा 0.3200हे0 किता 03 कुल क्षेत्रफल 0.9400 हे0 दर्ज खाता संख्या 113 स्थित वाके ग्राम तहनोली तहसील किशनगडबास जिला अलवर राजस्थान वादीगण की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4 अथवा उनके स्वर्गीय पिताजी सन्तराम पुत्र चुहडराम के नाम का राजस्व रिकार्ड में शिकमी साल 4 इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर लेख भण्डार रहे। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
96/19	28.8.19	7.9..21

उनवान

2. प्यारेलाल पुत्र स्व0 श्री कर्मचन्द
3. बनारसी पुत्र स्व0 श्री कर्मचन्द जाति जाट पंजाबी निवासीयान ग्राम तहनौली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान। :–वादीगण:–

बनाम

5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब(लेण्ड होल्डर) किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
6. महंगाराम पुत्र स्व0 श्री सन्तराम
7. जगदीश पुत्र स्व0 श्री सन्तराम
8. जनकराज पुत्र स्व0 श्री सन्तराम जाति जाट पंजाबी निवासीयान ग्राम तहनौली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

:– प्रतिवादीगण:–

(दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति:–

1.श्री लालाराम यादव वकील वादी की ओर से।

2.प्रतिवादी की ओर से इकबाल जवाब दावा।

:–पर्चा डिकी:–7.9.2021

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जरिये इकबाल जवाब दावा डिकी किया जाता है कि आराजी ख0न0 हाल 206 रकबा 0.4900है0, 216 रकबा 0.1300 हे0, 359 रकबा 0.3200हे0 किता 03 कुल क्षेत्रफल 0.9400 हे0 दर्ज खाता संख्या 113 स्थित वाके ग्राम तहनोली तहसील किशनगडबास जिला अलवर राजस्थान वादीगण की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4 अथवा उनके स्वर्गीय पिताजी सन्तराम पुत्र चुहडराम के नाम का राजस्व रिकार्ड में शिकमी साल 4 इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर लेख भण्डार रहे। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner